108

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1950–दो/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 1–6–2016 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज जिला रीवा – प्रकरण कमांक 99 अ–27/2014–15 अपील

1– राजेश प्रसाद 2– राकेश प्रसाद
3– दिनेशप्रसाद पुत्रगण स्व.लालताप्रसाद
4– श्रीमती रामरती पत्नि स्व.लालताप्रसाद
5– हीरालाल पुत्र रामप्रसाद ब्राहमण
6– अशोककुमार पुत्र स्व. सरमन
7– मनोजकुमार पुत्र स्व. सरमन
8– देवेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद
सभी ग्राम उरूआ तहसील मउगॅज जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– बद्रीनारायण 2– राजमणि
3– भूपेन्द्रकुमार पुत्रगण स्व.रामदासराम ब्राहमण
4– श्रीमती चौरसिया पत्नि स्व. रामदासराम
5– मथुराप्रसाद पुत्र सुखचैन 6– मोतीलाल पुत्र कोशलप्रसाद
7– गोविन्द्र प्रसाद पुत्र कौशलप्रसाद
8– गजेन्द्रप्रसाद पुत्र कोशलप्रसाद
9– मिथिलाप्रसाद (मृत) पुत्र सुखचैन प्रसाद

वारिस

अ– परमानंद ब– सिवानंद मृतक स– दयानिधि
क– द्वारका ख– अंजनीकुमार पुत्रगण स्व.मिथिलाप्रसाद
सिवानंद मृतक के वारिस

अ- रामरती पत्नि स्व0 शिवानन्द
ब- उमेशकुमार पुत्र स्व0 शिवानन्द
10- राजेश्वरी प्रसाद
11- प्रेमलाल 12- कमलेश्वरप्रसार
पुत्रगण चिंतामणि
13- मुस. ददनी पत्नि स्व. चिंतामणि
सभी निवासी ग्राम उरूआ तहसील मउगंज जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 14-11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 99 अ-27/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-6-16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब द्वारा पंजी कमांक 05 पर दिये गये आदेश दिनांक 24-3-80 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत हुआ। अवधि विधान की धारा-5 पर अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज जिला रीवा ने उभय पक्ष को श्रवण कर प्रकरण कमांक 99 अ-27/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1-6-2016 से विलम्ब क्षमा कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि उभय पक्ष के पूर्वजों के बीच रजिस्टर्ड बटवारा 9-2-71 को हुआ था जिसके कम में दि0 24-3-80को

नामान्तरण आदेश पारित हुआ है नामान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व इस्तहार का प्रकाशन किया गया है जिसकी जानकारी पक्षकारों को रही है किन्तु 34 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी ने भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाय।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने आदेश दिनांक 1-6-16 में अपील को म्याद में माना है एंव उनको समाधान हुआ है कि विलम्ब क्षमा करने हेतु बताये गये कारण संतोषप्रद है इसलिये उन्होंने विलम्ब क्षमा किया है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के आदेश दिनांक 1-6-16 में दिये गये निष्कर्ष के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करने के सम्बन्ध में बताया है कि पक्षकार अभिभाषकों के द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्क एंव अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क का एंव अपील प्रकरण में संलग्न अपीलाधीन आदेश के मूल नामान्तरण पंजी का अवलोकन एंव परिशीलन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा विलम्ब माफी के आवेदन पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वह समुचित व पर्याप्त आधार दर्शित होने से विलम्ब माफी का आवेदन पत्र मान्य किया जाना उचित है। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बताया गया है कि -

नामान्तरण पंजी कमांक 5 आदेश दिनांक 24-3-80 की जानकारी अपीलांट/आवेदकगण को किसी भी माध्यम से नहीं हुई और न ही उक्त पंजी में अपीलांट / आवेदकगण के पिता के एंव न ही अपीलांटगण के हस्ताक्षर सहमति के लिये गये तथा उत्तरवादीगण ने अपीलांट/आवेदकगण के पूर्वजों को प्रकरण में पक्षकार तो बनाया परन्तु व्यक्तिगत रूप से अपीलांटगण/ आवेदकगण के पिता को सम्मन सूचना जारी नहीं किया न ही नामांत्रण पंजी में सहमति के कोई हस्ताक्षर बने हैं।

उक्त से प्रतीत होता है कि नामान्तरण के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की गई । अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने उक्त तथ्यों का

पुष्टिकरण नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 से करने के उपरांत ही अंतरिम आदेश दिनांक 1-6-16 पारित करके विलम्ब क्षमा किया है।

1. नंदकिशोर बनाम स्टेट आफ पॅजाब जे0टी0 1995 (7) सु0को0 69 का न्याय दृष्टांत है कि प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर 31 वर्ष का विलम्ब क्षमा किया जाना उचित है।
2. मान0उच्च न्यायालय द्वारा म0प्र0राज्य विरूद्व गुलाबचंद 1996 रा0नि0 251 एंव परगनिया विरूद्व फुलेश्वर 1996(1) म0प्र0वीकली नोट्स 164 में व्यवस्था दी है कि सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की अपेक्षा नहीं की जाना चाहिये। पर्याप्त कारण का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक करना चाहिए।

अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 1-6-16 भी उक्त कारणों से उपयुक्त प्रतीत होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 99 अ-27/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-6-16 उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। फलस्वरूप निगरानी अस्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज को निर्देश दिये जाते हैं कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर शीघ्र न्यायदान की दृष्टि से 90 दिवस के भीतर अपील प्रकरण का अंतिम निराकरण करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर